8-5-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उप०। तहसीलदार दांतारामगढ़ से उनके पत्र क्रमांक रीडर/19/955 दिनांक 6/5/19 के साथ प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये। संशोधित प्रस्ताव पर बहस प्रार्थी पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/5/2019 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

9/5/19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उप०। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय दिनांक 14/5/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

14/5/19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। कार्यवाही मुताबिक राजस्व एवं संशोधित प्रस्ताव के अनुसार डिक्री लिखा गया। निर्णय अलग से लिखकर जारी शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

निर्णय आज दिनांक 14/5/19 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार, आर0ए0एस0

पत्रावली संख्या दावा 155/2013

भंवरलाल पुत्र श्री पदमाराम जाति अहीर निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– वादी,

बनाम

1 डालचंद पुत्र पदमाराम जाति अहीर नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 पटवारी हल्का पलसाना।
4 उप पंजीयक,पलसाना।
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार,दांतारामगढ़।

– प्रतिवादीगण,

उपस्थित :–

1. श्री सागरमल धायल,वकील वादी की ओर से।
2. श्री सांवरमल,वकील प्रति0सं0 1 की ओर से।

दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 53,188 राज0टी0एक्ट।

:: निर्णय :: दिनांक 14.05.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि विवादित आराजियात ख0नं0 1664 रकबा 0.48 है0 ख0नं0 1665 रकबा 0.82 है0 ख0नं0 1666 रकबा 0.17 है0 ख0नं0 1667 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1668 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 1669 रकबा 0.30 है0 ख0नं0 1723 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1724 रकबा 3.41 है0 ख0नं0 1724/4572 रकबा 0.22 है0 किता 9 कुल रकबा 5.44 है0 तन ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। उक्त आराजियात में वादी प्रतिवादी सं0 1 का 1/2,1/2 हिस्सा है तथा वादी व प्रति सं0 1 ने विवादित आराजी में पुख्ता आवासीय ढाणियां बना रखी है,जिसके अनुसार वादी ने ख0नं0 1723 व 1724/4572 में अपना पुख्ता आवासीय मकान व बाडा बना रखा है व मय परिवाद आबाद है तथा वही अपना पशुधन रखता है व प्रतिवादी सं0 1 ने ख0नं0 1668,1669 में पुख्ता आवासीय गुवाड़ी बना रही है व अपना पशुधन वही रख मय परिवार आबाद चला आ रहा है। विवादित आराजी की सिचाई हेतु वादी व प्रति0सं0 1 ने ख0नं0 1667 में कुंए का निर्माण दोनों को संयुक्त लागत व मेहनत से बनाया व विधुत संबंध भी दानों के नाम से लिया व विधुत का खर्चा भी दोनों का आधा–आधा लगा व विधुत बिल भी आधा–आधा जमा करवाते आ रहे है। उक्त कुंआ ख0नं0 1667 में पानी सुख जाने पर भूमि ख0नं0 1724 में वादी व प्रति0सं0 1 ने संयुक्त लागत व मेहनत से ट्यूबवेल बनवाया है व कुंआ ख0नं0 1667 में लगे विधुत संबंधी को शिफट दोनों ने करवाया व बराबर अपने हक हिस्से की सिंचाई करते आ

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

है। उक्त आराजियात का अभी तक बाई मिट्स एंव बाउन्डस विभाजन नहीं हुआ वादी व प्रति0सं0 1 विवादित आराजी को शामलाती ही काश्त करते आ रहे है। आराजी पसालना से खंडेला जाने वाली सड़क पर स्थित होकर कस्बा पलसाना नजदीक आबादी से लगती हुई है। वादी वृद्ध व बीमार व्यक्ति है,उसके तीन पुत्रों आकस्मिक निधन हो चुका है। वादी की असहाय स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से प्रतिवादी सं0 1 के मन में बेईमानी आ गई है व वादी को अब उसके 1/2 हिस्से की काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर दी है। प्रति0सं0 1 ने बाजौत नहीं करने दी व कहा कि वह पुरी भूमि पर ही कब्जा कर वादी को बेदखल करेगा आपसी सहमति से बंटवारा करने से भी इंकार कर दिया । अतः वादी को दावा बंटवारा करना आवश्यक हुआ। वादी ने वाद पेश कर वादी का दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 1664,1665,1666,1667,1668, 1669,1723,1724, 1724/4572 किता 9 कुल रकबा 5.44 है0 तन ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का बंटवारा बाई मिट्स एंड बाउन्ड किया जाकर अलग–अलग सींव व नींव व लगान कायम किया जाने एंव प्रति0सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीण को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0सं0 1 जरिये वकील उपस्थित आए तथा दिनांक 19.3.19 को राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार,दांतारामगढ़ को राजीनामा की प्रति भेजकर मुताबिक राजीनामा के बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/19/355/दिनांक 15.4.19 के द्वारा मुताबिक राजीनामा के बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया है कि :–

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	लगान	किस्म
1.	भंवरलाल पुत्र पदमाराम जाति अहीर राहीन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना खातेदार	1664/1 1665 1723 1724/4572 1724/1	0.40 है0 0.82 है0 0.01 है0 0.22 है0 0.78 है0	6.00 12.00 – 1.00 5.20	चाही 4 चाही 4 बारानी 3 बारानी 2 चाही 4
		कुल किता 5	कुल रकबा 2.23 है0	24.20	–

नोट :– उपरोक्त भूमि के अलावा राजीनामा में अंकित ख0नं0 1658,1661 व 1662 किता 3 रकबा 1.35 है0 में भंवरलाल,डालचंद पि0 पदमाराम का हि0 6273/8640 रिकार्ड में दर्ज है उक्त हिस्से में से प्रतिवादी डालचंद पुत्र पदमाराम ने अपना 1/2 हिस्सा (संपूर्ण में से 6273/17280) जरिये हकत्या पत्र दिनांक 03/04/2019 को पु0सं0 1 जिल्द सं0 232 में पृष्ठ सं0 182 क्र0सं0 201903503100606 के द्वारा वादी भंवरलाल पुत्र पदमाराम के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया हैं,जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है।

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

	पक्षकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	लगान	किस्म
	डालचंद पुत्र पदमाराम जाति अहीर राहीन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना खातेदार	1666 1667 1668 1669 1724/2 1664/2	0.17 है0 0.01 है0 0.02 है0 0.30 है0 2.63 है0 0.08 है0	3.00 — — 5.00 39.45 1.20	चाही 4 गै0मु0चाह बारानी 3 चाही 4 चाही 4 चाही 4
		कुल किता 6	कुल 3.21 है0	48.65	—

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एंव तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव का बगौर अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा पक्षकारान तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है एंव इसके मुताबिक बंटवारा करवाना चाहते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद में पक्षकारों के मुताबिक राजीनामा *एंव तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारे अनुसार राजस्व ग्राम* पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित आराजियात के बाबत पक्षकारों के मध्य राजीनामा एंव किये गये बंटवारे के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है :—

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	लगान	किस्म
1.	भंवरलाल पुत्र पदमाराम जाति अहीर राहीन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना खातेदार	1664/1 1665 1723 1724/4572 1724/1	0.40 है0 0.82 है0 0.01 है0 0.22 है0 0.78 है0	6.00 12.00 — 1.00 5.20	चाही 4 चाही 4 बारानी 3 बारानी 2 चाही 4
		कुल किता 5	कुल रकबा 2.23 है0	24.20	—

चूंकि मुताबिक राजीनामा के ख0नं0 1658,1661 व 1662 किता 3 रकबा 1.35 है0 में भंवरलाल,डालचंद पि0 पदमाराम का हि0 6273/8640 रिकार्ड में दर्ज है, उक्त हिस्से में से प्रतिवादी सं0 1 डालचंद पुत्र पदमाराम ने अपना 1/2 हिस्सा (संपूर्ण में से 6273/17280) जरिये हकत्याग पत्र दिनांक 03/04/2019 को पु0सं0 1 जिल्द सं0 232 में पृष्ठ सं0 182 क्र0सं0 201903503100606 के द्वारा वादी भंवरलाल पुत्र पदमाराम के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया हैं इसलिए उक्त आराजी का भी वादी भंवर लाल पुत्र पदमाराम जाति अहीर को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:—

पक्षकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
भंवरलाल पुत्र पदमाराम जाति अहीर राहीन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना खातेदार हिस्सा 6273/8640	1658 1661 1662	0.27 है0 0.58 है0 0.50 है0 (लगान तदनुसार रहेगा) (कुल रकबा 1.35 है0 में से 0.98 है0 की संपूर्ण खातेदारी भंवरलाल पुत्र पदमाराम जाति अहीर के नाम) शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा
	कुल किता 5	कुल रकबा 1.35 है0

पक्षकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	लगान	किस्म
डालचंद पुत्र पदमाराम जाति अहीर राहीन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना खातेदार	1666 1667 1668 1669 1724/2 1664/2	0.17 है0 0.01 है0 0.02 है0 0.30 है0 2.63 है0 0.08 है0	3.00 – – 5.00 39.45 1.20	चाही 4 गै0मु0चाह बारानी 3 चाही 4 चाही 4 चाही 4
	कुल किता 6	कुल 3.21 है0	48.65	–

राजीनामा व तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का हिस्सा रहेगा।

उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिए दिलाया गया है या नहीं दर्ज करना चाहिए।